

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0) नगर (भरतपुर)

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय महेन्द्र बनाम कल्लू बगै0 मि0नं0 20/17 किस्म मुकदमा : 212 आर0टी0एक्ट</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।</p>
--------------------	---	---

25.06.17 आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी महेन्द्र ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अपने मूल दावा के साथ पेश किया । प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय वहस बावत् जारी करने स्थगन आदेश सुनी । प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं अप्रार्थीगण कल्लू बगै0 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30/06/2017 तक आ.ख.नं. 2005/0.13, 2006/0.14 किता 2 रकबा 0.27 बाके कस्बा नगर तह0 नगर पर आगामी तारीख पेशी तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें रहन वय मुंतकिल न करें। एवं मौके पर कोई निर्माण नही करें । इस आदेश के जारी रहने में कोई आपत्ति हो तो इस न्यायालय में आप स्वयं अथवा अपने अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर पेश करें टी.आई. जारी हो । पत्रावली दिनांक 30/06/2017 को पेश हो ।

आह्वानक अतिपट्टरी
नगर (फाट्ट्रेकुट) नज0
नगर (भरतपुर) राज0

27/6 आज पत्रावली जारी के आर्बना पत्र पर प्रथम वाद के साथ अहकाम हुई, नदी के आर्बना पर धना क्रिडा क्रिडा जासुका है, तदनुसार प्रथम अपत्र लाहौर क्रिडा जाता है तथा दिनांक 5.6.17 को जारी टी.ई. के क्रिडा क्रिडा जाता है। पत्रावली के क्रिडा थुपार होकर क्रिडा क्रिडा है।



(निर्णय क्रिडा क्रिडा जारी)